

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा-राजस्थान ।


क्रमांक : स्था0 / 22 /

दिनांक : 01.10.2022

कार्यालय आदेश 36

मैं ललित डाबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) सपठित नियम 64 सामान्य नियम (आपराधिक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार पुलिस थाना सदर में उद्भूत होने वाले The food Adulteration Act, The Essential Commodities Act, The Drugs and Cosmetics Act. कीटनाशी अधिनियम, 1968 के मामलों एवं धारा 409, 467, 468, 471, 472 भारतीय दण्ड संहिता के मामलों का श्रवणाधिकार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा होगा । इसके अतिरिक्त उक्त न्यायालय को पूर्ववत् श्रवणाधिकार यथावत रहेंगे ।

यह आदेश आज दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी होगा ।



(ललित डाबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 22 / 653 TO 658

दिनांक : 01.10.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा ।
- 2- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा ।
- 3- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा ।
- 4- अध्यक्ष महोदय बार संघ बांसवाड़ा ।
- 5- सहायक निदेशक अभियोजन बांसवाड़ा ।
- 6- थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बांसवाड़ा ।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)